2. कुशल कर्मकार (सभी व्यवसाय)

3. अर्द्ध-कुशल कर्मकार (सभी व्यवसाय)

4. हल्के/मध्यम/भारी वाहन चालक

5. सभी श्रेणियों के लिपिकीय कर्मकार जिनमें आशुलिपिक, स्टोरकीपर, टाइमकीपर, टाइपिस्ट आदि शामिल है ।

6. घरेलू नियोजन को छोड़कर अन्य रसोइये ।

Modification in Minimum Wages

1144. SHRI ANANTRAY DEVSHANKER DAVE : Will the Minister of LABOUR be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 1592 given in the Rajya Sabha on the 23rd August, 1992 and state :

(a) whether Government have finalised the modification of minimum wages;

(b) if so, the details thereof; and

(c) what steps are being taken by Government to strengthen Minimum Wages Act and increase the rate of wages ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI PABAN SINGH GHATOWAR) : (a) The proposals to amend the Minimum Wages Act, 1948 have not yet been finalised.

(b) The proposal under consideration is to revise the minimum wages at intervals not exceeding two years unless the minimum rates of wages so fixed or revised consist of a component of Variable Dearness Allowance.

(c) Pending amendment of the Act, the State Governments and, Union Territory Administrations have been requested to fix minimum wages with a component of Variable Dearness allowance linked to All India Consumer Prices Index.

विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाओं के लिए मुआवजे का भुगतान

1145. **चौधरी हरमोहन सिंह** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाओं में एक समान चोट लगने के बावजूद भी मुआवजे की भिन्न-भिन्न धनराशियों का भुगतान किया जा रहा है,

(ख) यदि हां, तो इस विषमता के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस विषमता को समाप्त करके मृतकों के निकटतम संबंधियों को मुआवजे की समान धनराशि प्रदान करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घटोवार) : (क) से (ग) कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 में रोजगार के दौरान उत्पन्न होने वाली दुर्घटना (जिसमें कतिपय व्यावसायिक बीमारियां शामिल हैं) द्वारा चोट लगने तथा उसके द्वारा विकलांग होने अथवा मृत्यु हो जाने के मामले में कर्मकारों तथा उसके आश्रितों को मुआवजे का भुगतान किये जाने का प्रावधान है इस अधिनियम के अन्तर्गत, कर्मकार की विकलांगता अथवा मृत्यु के समय उसकी आयु तथा मजदूरी के आधार पर मुआवजे की धनराशि निर्धारित की जाती है । मुआवजे की धनराशि का अनुमान लगाने का यह तरीका उचित और तर्कसंगत है अतः उसमें कोई परिवर्तन किए जाने का प्रस्ताव नहीं है ।

Group Insurance Scheme for Beedi Workers in Madhya Pradesh

1146. SHRI SURESH PACHOURI : Will the Minister of LABOUR be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have introduced a group insurance scheme for the Beedi Workers in Madhya Pradesh and other parts of the country;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) how many Beedi Workers in the State of Madhya Pradesh are likely to be benefited by the Scheme;

(d) whether Government propose to pay the premium to all the Beedi Workers for their group insurance; and

(e) if not, the reasons therefor and how Government propose to popularise the scheme amongst the poor Beedi Workers ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI PABAN SINGH GHATOWAR) : (a) Yes, Sir.

(b) The scheme has come into operation from 1-4-1992. Identity card holding beedi workers in the age group 18—60 years who are not covered under the Employees Provident Fund Scheme are insured for a sum of Rs. 3000/- in the case of natural death and Rs. 6000/- in the case of death by accident.

(c) 3,30,000.

(d) The annual premium of Rs. 27/- per beedi workers is paid in equal share from the Beedi Workers Welfare Fund and LIC's Social Security Fund.

(e) The scheme is publicised through the Labour Welfare Fund Organisation network in all the regions.

विभिन्न राज्यों में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या

1147. **श्री रामसिंह राठवा** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यवार कुल कितने बेरोजगार व्यक्तियों के नाम-रोजगार केन्द्र में दर्ज हैं;

(ख) रोजगार केन्द्रों से दो वर्षों के भीतर कितने व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया है; और

(ग) ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनके नाम रोजगार केन्द्रों में दस वर्षों से दर्ज होने के बावजूद जिन्हें रोजगार उपलब्ध नहीं हो सका है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घटोवार) : (क) अगस्त, 1992 के अन्त में रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर व्यक्तियों, यह अनिवार्य नहीं कि वे सभी बेरोजगार हों, की राज्यवार कुल संख्या संलग्न विवरण में प्रस्तुत है। (नीचे देखिये)

(ख) रोजगार में लगाए गए ऐसे व्यक्तियों, जिनकी नियुक्ति चालू रजिस्टर पर नाम दर्ज किए जाने की अवधि के आधार पर की गई थी, का वर्गीकरण नहीं रखा जाता है। तथापि, 1990 और 1991 के दौरान देश के रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की गई नियुक्तियों की कुल संख्या क्रमशः 2.64 और 2.53 लाख थीं।

(ग) चालू रजिस्टर पर नाम दर्ज किए जाने की अवधि के अनुसार व्यक्तियों की संख्या संबंधी आंकड़ों का संकलन नहीं किया जाता है। तथापि, 1988 के दौरान किए गए सर्वेक्षण के अनुसार दस वर्ष से अधिक की अवधि तक रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर 5.83 % रोजगार चाहने वाले पंजीकृत थे।

विवरण

अगस्त, 1992 के अन्त में देश के रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर नौकरी चाहने वालों की संख्या

(हजारों में)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	संख्या
राज्य	
1. आंध्र प्रदेश	3321.6
2. अरुणाचल प्रदेश	5.5
3. असम	1365.2